

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 396] No. 396] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 7, 2016/ज्येष्ठ 17, 1938

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 7, 2016/JYAISTHA 17, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2016

सा.का.नि. 580(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात् :-

- 1 (1) इस योजना का संक्षिप्त नाम कर्मचारी भविष्य निधि (चौथा संशोधन) योजना, 2016 है।
 - (2) यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।
- 2. कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में, -
 - (क) पैरा 38 के, उप-पैरा (1) में शब्दों "स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या अन्य कोई राष्ट्रीकृत बैक" के पश्चात् शब्द "**या पेजीओवी प्लेटफार्म के माध्यम से**" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।
 - (ख) पैरा 48 के, उपपैरा (1) में शब्दों "स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या अन्य कोई राष्ट्रीकृत बैंक" के पश्चात् शब्द "**या पेजीओवी प्लेटफार्म के माध्यम से**" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. एस.35012 /1/2016-एसएस-2]

मनीष गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि(अ) संख्यांक 1500, तारीख 2 सितम्बर, 1952 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् सा.का.नि. संख्यांक 158(अ), तारीख 10 फरवरी, 2016, द्वारा अंतिम संशोधित की गई।

2894 GI/2016 (1)

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2016

G.S.R. 580(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, namely:-

- 1. (1) This Scheme may be called the Employees' Provident Funds (Fourth Amendment) Scheme, 2016.
 - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Employees' Provident Funds Scheme, 1952,-
 - (a) in paragraph 38, in sub-paragraph (1), after the words "State Bank of India or any other Nationalised Bank", the words "or through PayGov platform" shall be inserted;
 - (b) in paragraph 48, after the words "State Bank of India or any other Nationalised Bank", the words "or through PayGov platform" shall be inserted.

[F. No. S-35012/1/2016-SS-II]

MANISH GUPTA, Jt. Secy.

Note: The principal scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i), *vide* number G.S.R. 1509, dated the 2nd September, 1952 and was lastly amended *vide* number G.S.R. 158(E) dated the 10th February, 2016.